

## समुत्थानशील भारत के लिये स्टार्टअप को पुनर्जीवित करना

यह एडिटरियल 13/01/2025 को द ह्यू बज़िनेस लाइन में प्रकाशित ["Startup India has fuelled entrepreneurial spirit"](#) पर आधारित है। यह लेख भारत की स्टार्टअप इंडिया पहल के परिवर्तनकारी प्रभाव पर प्रकाश डाला गया है, जो एक समृद्ध स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देते हुए स्टार्टअप को फनितेक और हेल्थटेक जैसे क्षेत्रों में वैश्विक अग्रणियों के रूप में स्थान दिलाता है। इस गतिको बनाए रखने के लिये, वनियामक बाधाओं को दूर करना और उद्योग-अकादमिक सहयोग को बढ़ावा देना अनिवार्य है।

### प्रलिस के लिये:

भारत की स्टार्टअप इंडिया पहल, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग, एग्रीटेक स्टार्टअप, नवीकरणीय ऊर्जा, डीप टेक, भारत का MSME क्षेत्र, आयकर अधिनियम-1961, विश्व बैंक, ग्लोबल टैलेंट इंडेक्स- 2023, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC), डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम- 2023, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण एवं वनिरमाण, कृषि अवसरचना कोष

### मेन्स के लिये:

भारत की आर्थिक संवृद्धि में स्टार्टअप की भूमिका, भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम से संबंधित प्रमुख मुद्दे।

वर्ष 2016 में शुरू की गई **भारत की स्टार्टअप इंडिया पहल** ने देश को वैश्विक नवाचार शक्त के रूप में स्थापित किया है, 500 से अधिक इनक्यूबेशन केंद्रों को बढ़ावा दिया है तथा स्टार्टअप के लिये एक सुदृढ़ इकोसिस्टम तैयार किया है। इस कार्यक्रम ने प्रशासनिक बाधाओं को तोड़ते हुए **एयर 2 और 3 शहरों के उद्यमियों को समान स्तर पर प्रतिस्पर्द्धा करने में सक्षम बनाकर नवाचार को लोकतांत्रिक बनाया है। फनितेक से लेकर हेल्थटेक तक**, भारतीय स्टार्टअप वैश्विक अग्रणियों के रूप में उभरे हैं। यद्यपि भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम अपार संभावनाओं को दर्शाता है, फरि भी इस विकास प्रकृषेपवकर को बनाए रखने तथा वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवस्था में इसकी क्षमता को पूरी तरह से साकार करने के लिये **वनियामक कार्यदाँचे में आने वाली चुनौतियों से निपटने के साथ ही मज़बूत उद्योग-अकादमिक सहयोग की आवश्यकता है।**

## भारत की आर्थिक संवृद्धि में स्टार्टअप की क्या भूमिका है?

- रोज़गार सृजन:** स्टार्टअप रोज़गार सृजन में महत्त्वपूर्ण योगदानकर्त्ता के रूप में उभरे हैं, जो IT, फनितेक और ई-कॉमर्स जैसे विविध क्षेत्रों में रोज़गार के अवसर प्रदान करते हैं।
  - 31 दिसंबर 2023 तक, **उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (DPIIT)** ने कुल **1,17,254** स्टार्टअप को मान्यता दी।
    - इन स्टार्टअप ने **12.42 लाख से अधिक प्रत्यक्ष नौकरियों का सृजन** किया है, जो अर्थव्यवस्था में महत्त्वपूर्ण योगदान है।
    - स्टार्टअप लॉजिस्टिक्स**, मार्केटिंग और वकिरेता प्रबंधन जैसी सहायक सेवाओं के माध्यम से **अप्रत्यक्ष रोज़गार को भी बढ़ावा देते हैं**, जिससे समग्र रोज़गार पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा मिलता है।
- नवाचार और प्रौद्योगिकी अंगीकरण को बढ़ावा देना:** स्टार्टअप तकनीकी नवाचार में सबसे आगे हैं, जो वास्तविक विश्व की चुनौतियों का समाधान करने के लिये **AI, ब्लॉकचेन और IoT** का लाभ उठाते हैं।
  - उदाहरण के लिये, **एथर एनर्जी** अपने अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक स्कूटरों के साथ भारत के EV क्षेत्र में क्रांतिलि रही है, जबकि **रुड एयरोस्पेस** के ड्रोन कृषि उत्पादकता में बदलाव ला रहे हैं।
  - भारत का अनुसंधान एवं विकास व्यय** कम बना हुआ है, लेकिन स्टार्टअप एग्रीटेक, एडटेक और हेल्थ-टेक जैसे क्षेत्रों में नवाचार करके इस अंतर की पूर्त्तिकर रहे हैं।
- नरियात और वैश्विक पहुँच को बढ़ावा देना:** स्टार्टअप ने अपने कारोबार को अंतरराष्ट्रीय बाज़ारों तक वसितारति करके भारत की नरियात क्षमताओं को बहुत हद तक बढ़ाया है।
  - रेज़रपे** और **पेटीएम** जैसी फनितेक कंपनियों अब वैश्विक स्तर पर भुगतान समाधान नरियात कर रही हैं, जबकि **ज़ोहो और फरेशवरक्स** जैसी **SaaS (सॉफ्टवेयर-ऐज़-अ-सर्विस) फर्म** अंतरराष्ट्रीय बाज़ारों पर प्रभावी बने हुए हैं। वर्ष 2030 तक अकेले भारत के SaaS सेक्टर से **100 बिलियन डॉलर के राजस्व** की उम्मीद है, जो वर्ष **2023 में 13 बिलियन डॉलर (NITI आयोग)** था। यह वैश्विक उपस्थिति भारत के ब्रांड मूल्य को बढ़ाती है और वदिशी मुद्रा आय में योगदान देती है, जिससे देश के भुगतान संतुलन को सहारा

मलिता है।


- **वित्तीय समावेशन का समर्थन:** फनिटेक क्षेत्र के स्टार्टअप वंचित आबादी को सस्ती और सुलभ डिजिटल वित्तीय सेवाएँ प्रदान करके वित्तीय समावेशन का वसितार कर रहे हैं।
  - फोनपे, भारतपे और पेटीएम जैसी कंपनियों ने डिजिटल भुगतान को ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुँचाया है, दिसंबर 2024 में UPI लेन-देन रिकॉर्ड 16.73 बिलियन तक पहुँच गया।
  - सूक्ष्म ऋण तथा नयिबैंकिंग के स्टार्टअप MSME और व्यक्तियों को ऋण तक पहुँच प्रदान कर उन्हें सशक्त बना रहे हैं।
    - भारत विश्व के सबसे तेज़ी से बढ़ते फनिटेक बाज़ारों में से एक है, जिसका वर्तमान आकार 584 बिलियन अमेरिकी डॉलर है और वर्ष 2025 तक इसके 1.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँचने का अनुमान है, जो समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा।
- **ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मज़बूत करना:** स्टार्टअप ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाने के लिये प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर ग्रामीण-शहरी विभाजन को कम कर रहे हैं।
  - DeHaat और कर्षापनि जैसे एग्रीटेक स्टार्टअप किसानों को रयिल टाइम सॉल्यूशन प्रदान कर रहे हैं, जिससे उत्पादकता एवं आय में वृद्धि हो रही है।
  - आने वाले वर्षों में भारतीय कृषि प्रौद्योगिकी उद्योग में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है, तथा अनुमान है कविर्ष 2025 तक इसका राजस्व 204 बिलियन डॉलर तक पहुँच जाएगा।
  - इसके अलावा, वकिरम सोलर जैसे सोलर स्टार्टअप ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं, महंगे डीज़ल पंपों पर निर्भरता कम कर रहे हैं और सतत् ग्रामीण आजीविका का समर्थन कर रहे हैं। नवाचार का यह वकिंद्रीकरण समान आर्थिक विकास को बढ़ावा दे रहा है।
- **महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देना:** स्टार्टअप महिला उद्यमियों को सशक्त बना रहे हैं तथा उन्हें अर्थव्यवस्था में सक्रिय रूप से भाग लेने के अवसर प्रदान कर रहे हैं।
  - मन्न देशी फाउंडेशन जैसे उद्यम मार्गदर्शन और वित्तपोषण के माध्यम से महिला-नेतृत्व वाले उद्यमों को बढ़ावा दे रहे हैं।
  - आज भारत में 18% स्टार्टअप का नेतृत्व महिलाएँ कर रही हैं, जो अर्थव्यवस्था में महत्त्वपूर्ण योगदान दे रही हैं।
  - IIM बैंगलोर में NSRCEL का महिला स्टार्टअप कार्यक्रम, कोटक की CSR पहल और स्टार्टअप इंडिया के तहत वित्तीय प्रोत्साहन जैसी पहलें एक अधिक समावेशी स्टार्टअप इकोसिस्टम का निर्माण कर रही हैं।
- **हरति एवं सतत् विकास को बढ़ावा देना:** नवीकरणीय ऊर्जा और संधारणीय क्षेत्र में स्टार्टअपस जलवायु परिवर्तन से निपटने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।
  - ReNew पावर और इकोजेन सॉल्यूशन्स सौर एवं नवीकरणीय ऊर्जा अंगीकरण में अग्रणी हैं, जबकि सेरो रीसाइक्लिंग एंड-ऑफ-लाइफ (ELV) वाहनों के पुनर्चक्रण पर केंद्रित है।
  - भारत के नवीकरणीय ऊर्जा स्टार्टअप वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय क्षमता के लक्ष्य के अनुरूप हैं, तथा हरति ऊर्जा बाज़ार में 15% CAGR (MNRE) की दर से वृद्धि होने की उम्मीद है।
    - ये स्टार्टअप न केवल आर्थिक विकास में योगदान देते हैं बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान देते हैं।
- **वदिशी नविश आकर्षति करना:** भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम प्रत्यक्ष वदिशी नविश (FDI) के लिये एक आकर्षण का केंद्र बन गया है।
  - वैश्विक नविशक भारत के विशाल बाज़ार, मज़बूत डिजिटल बुनियादी अवसंरचना और फलते-फूलते उद्यमशीलता की ओर आकर्षति हो रहे हैं।
  - पछिले कुछ वर्षों में डीप टेक (R&D-उन्मुख) क्षेत्र में लगातार नविश बढ़ रहा है, जिसकी कुल फंडिंग 6.73 बिलियन डॉलर है।
  - ओला इलेक्ट्रिक और लैसकार्ट जैसे स्टार्टअप ने अरबों डॉलर का वित्त पोषण जुटाया है, जिससे आर्थिक विकास एवं नवाचार को बढ़ावा मिला है।
- **MSME और सहायक उद्योगों को समर्थन:** स्टार्टअप डिजिटल उपकरण, ऋण तथा बाज़ार अभिगम प्रदान करके MSME के लिये सक्षमकर्त्ता के रूप में कार्य करते हैं।
  - भारत का MSME क्षेत्र जो सकल घरेलू उत्पाद में 30% का योगदान देता है और 150 मिलियन से अधिक लोगों को रोज़गार देता है, इन तकनीक-संचालित समाधानों से लाभान्वित हो रहा है।
  - स्टार्टअपस और MSME के बीच यह तालमेल आपूर्ति शृंखलाओं को सुदृढ़ करता है और भारत की अर्थव्यवस्था की समग्र प्रतिसिपर्द्धात्मकता में सुधार कर रहा है।

## भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम से संबंधित प्रमुख मुद्दे क्या हैं?

- **प्रारंभिक चरण के स्टार्टअप के लिये वित्तपोषण संबंधी बाधाएँ:** कई प्रारंभिक चरण के स्टार्टअप को सीमति नविशकों और उद्यम पूंजी की रुचि के कारण पर्याप्त वित्तपोषण प्राप्त करने में संघर्ष करना पड़ता है।
  - वर्ष 2023 में, फंडिंग वित्त के परिणामस्वरूप लगभग 35,000 भारतीय स्टार्टअप बंद हो गए, जिससे भारतीय स्टार्टअप के लिये फंड जुटाने में लगभग 73% की गिरावट आई।
  - मज़बूत बीज वित्त पोषण तंत्र की अनुपस्थिति और वदिशी नविशकों पर निर्भरता के कारण, आरंभिक चरणों में नवाचारों को पोषति करने में अंतराल उत्पन्न होता है।
- **वनियामक और अनुपालन भार:** स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत सुधारों के बावजूद, स्टार्टअपस को जटिल वनियामक आवश्यकताओं का सामना करना पड़ता है, विशेष रूप से कराधान और कंपनी पंजीकरण से संबंधित।
  - उदाहरण के लिये, एंजल टैक्स मुद्दे (धारा 56(2)(viib), आयकर अधिनियम-1961) अभी भी वदिशी नविश के लिये अनश्चितता उत्पन्न कर रहे हैं, जिससे प्रारंभिक चरण के वित्तपोषण में बाधा आती है।
  - इसके अतिरिक्त, विश्व बैंक की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में व्यवसाय शुरू करने में औसतन 18 दिनि लगते हैं, जबकि OECD उच्च आय वाले देशों में, आमतौर पर केवल 5 प्रक्रियाएँ और 9 दिनि लगते हैं, जो अनुपालन प्रक्रियाओं को और भी सरल बनाने की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

- **कुशल प्रतभा की कमी और प्रतभा पलायन:** स्टार्टअप को कुशल प्रतभा खोज में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, विशेष रूप से AI, ब्लॉकचेन और IoT जैसी उभरती प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में, जबकि शीर्ष भारतीय प्रतभाओं का प्रायः वदेश में पलायन हो जाता है।
  - **ग्लोबल टैलेंट इंडेक्स-2023** में भारत 103वें स्थान पर है, जो इसे BRICS में सबसे कम वांछनीय देश बनाता है। चीन 40वें स्थान पर समूह में सबसे आगे है, उसके बाद रूस (52), दक्षिण अफ्रीका (68) और ब्राज़ील (69) हैं।
  - इसके अतिरिक्त, वर्ष 2011 से अब तक 16 लाख से अधिक भारतीयों ने अपनी भारतीय नागरिकता त्याग दी है, जिनमें से कई लोग अमेरिकी नवाचार केंद्रों की ओर रूख कर रहे हैं।
    - प्रतभा का यह अंतर प्रतभा-प्रधान क्षेत्रों में भारतीय स्टार्टअप के विकास की गति को बुरी तरह से प्रभावित करता है।
- **टयिर-2 और टयिर-3 शहरों में सीमिति बुनियादी अवसंरचना:** हालाँकि छोटे शहरों से स्टार्टअप उभर रहे हैं, लेकिन मज़बूत बुनियादी अवसंरचना की कमी— जैसे: हाई-स्पीड इंटरनेट, लॉजिस्टिक्स और इनक्यूबेशन सेंटर तक पहुँच उनकी स्केलेबिलिटी को सीमिति करती है।
  - उदाहरण के लिये, ग्रामीण भारत में लगभग 50 प्रतिशत लोग गैर-सक्रिय इंटरनेट उपयोगकर्ता हैं, जिससे डिजिटल-प्रथम स्टार्टअप प्रभावित हो रहे हैं।
  - जबकि डिजिटल इंडिया पहल जैसे कार्यक्रम कनेक्टिविटी में सुधार कर रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में स्टार्टअप को अभी भी प्रौद्योगिकी और बुनियादी अवसंरचना का प्रभावी ढंग से लाभ उठाने में बहुत-सी बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है।
- **उद्यमिता में लैंगिक असमानता:** कुछ प्रगत के बावजूद, सामाजिक बाधाओं, वित्तपोषण संबंधी पूर्वाग्रहों और सीमिति मार्गदर्शन अवसरों के कारण भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम में महिला उद्यमियों का प्रतिनिधित्व कम है।
  - भारत के कुल स्टार्टअप में महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप की हिससेदारी 18% है, लेकिन उन्हें कुल उद्यम पूंजी वित्तपोषण का 3% से भी कम प्राप्त होता है।
  - NITI आयोग के अंतर्गत महिला उद्यमिता मंच (WEP) जैसी पहलों ने इन अंतरालों को दूर करने का प्रयास किया है, लेकिन महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने में संरचनात्मक चुनौतियाँ बनी हुई हैं।
- **स्टार्टअप की वफिलता दर:** नमिनस्तरिय बज़िनेस मॉडल, बाज़ार अनुसंधान की कमी और परचालन अक्षमताओं के कारण स्टार्टअप का एक बहुत बड़ा हिससा पहले पाँच वर्षों के भीतर वफिल हो जाता है।
  - भारत में, लगभग 90% स्टार्टअप प्रायः अपने शुरुआती वर्षों में ही वफिल हो जाते हैं। यह उच्च वफिलता दर मुख्य रूप से अपर्याप्त बाज़ार अनुसंधान, नमिनस्तरिय उत्पाद-बाज़ार फिट, वित्तीय कुप्रबंधन, टीम संघर्ष और एक भरोसेमंद ब्रांड स्थापति करने में असमर्थता जैसे कारणों के कारण होती है।
  - ज़ालिगो (सागिपुर-भारत क्रॉस-बॉर्डर स्टार्टअप) जैसी हाई-प्रोफाइल वफिलताएँ स्टार्टअप इकोसिस्टम में बेहतर मार्गदर्शन, वित्तीय नयोजन और दीर्घकालिक धारणीयता रणनीतियों की आवश्यकता को उजागर करती हैं।
- **कमज़ोर उद्योग-अकादमिक सहयोग:** भारत में अकादमिक और स्टार्टअप के बीच मज़बूत तालमेल का अभाव है, जो नवाचार-संचालित उद्यमिता के लिये महत्त्वपूर्ण है।
  - अमेरिका जैसे देशों के विपरीत, जहाँ स्टैनफोर्ड जैसे संस्थान गूगल जैसे स्टार्टअप को आगे बढ़ा रहे हैं, भारतीय विश्वविद्यालय स्टार्टअप इकोसिस्टम में न्यूनतम योगदान देते हैं, जिससे अत्याधुनिक अनुसंधान और नवाचार स्टार्टअप इकोसिस्टम तक अभिगम सीमिति हो जाती है।
- **सीमिति बाज़ार अभिगम और मापनीयता:** स्टार्टअप को प्रायः घरेलू और वैश्विक बाज़ारों तक सीमिति अभिगम के कारण अपने परचालन को बढ़ाने में संघर्ष करना पड़ता है।
  - उदाहरण के लिये, DeHaat जैसे कृषि प्रौद्योगिकी स्टार्टअप को सीमांत किसानों को बड़ी आपूर्ति शृंखलाओं से जोड़ने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
  - ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC) जैसे डिजिटल मार्केटप्लेस के लिये सरकार के प्रयासों के बावजूद, स्टार्टअप की बाज़ार में अभिगम कम बना हुआ है।
  - यह बाधा नवीन उत्पादों को व्यापक करेताओं तक पहुँचने से रोकती है।
- **बढ़ती प्रतस्पर्द्धा और बाज़ार संतृप्त:** स्टार्टअप इकोसिस्टम, विशेष रूप से ई-कॉमर्स और फनिटेक जैसे क्षेत्रों में, अत्यधिक प्रतस्पर्द्धा और संतृप्त हो गया है।
  - फलपिकार्ट, पेटिएम और अमेज़न जैसी कंपनियाँ बाज़ार पर हावी हैं, जिससे नए प्रवेशकों के लिये बहुत कम अवसर मिलते हैं।
  - यह तीव्र प्रतस्पर्द्धा नवाचार को हतोत्साहित करती है और उद्यमशीलता की विविधता को सीमिति करती है।
- **साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता संबंधी चिंताएँ:** संवेदनशील उपभोक्ता डेटा के साथ काम करने वाले स्टार्टअप, विशेष रूप से फनिटेक और स्वास्थ्य-तकनीक में, डेटा गोपनीयता एवं साइबर सुरक्षा से संबंधित बढ़ती चुनौतियों का सामना कर रहे हैं।
  - अकेले वर्ष 2023 में, भारत में 79 मिलियन से अधिक साइबर अटैक हुए, जो वर्ष 2022 की तुलना में 15 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है, जिससे स्टार्टअप के लिये स्थायित्व एवं वित्तीय जोखिम बढ़ गया है।
  - यद्यपि डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम-2023 का उद्देश्य इन चिंताओं को दूर करना है, लेकिन इसके प्रावधानों का अनुपालन छोटे स्टार्टअप के लिये संसाधन-गहन हो सकता है।

## Key Government's Startup Initiatives



## भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ाने के लिये क्या उपाय अपनाए जा सकते हैं?

- नियामक कार्यवाही को सरल बनाना:** सरकार को स्टार्टअप के लिये प्रशासनिक बाधाओं को कम करने के लिये **कंपनी पंजीकरण, कर फाइलिंग और अनुपालन मानदंडों** जैसी नियामक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना चाहिये।
  - राष्ट्रीय एकल खड़की प्रणाली (NSWS) जैसी पहलों को सभी राज्यों तक वस्तुतः करने से **समाशोधन और अनुमोदन के लिये एक ही स्थान पर समाधान** उपलब्ध हो सकता है।
  - एंजल टैक्स जैसी कराधान नीतियों के बारे में अस्पष्टता को दूर करने से अधिक धरलू और वदेशी निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
  - स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम जैसी योजनाओं के तहत शकियत नविवरण तंत्र को सुदृढ़ करने से स्टार्टअप के लिये सुचारू संचालन सुनिश्चित हो सकता है।
- प्रारंभिक चरण के वित्तपोषण तक अभिगम को बेहतर करना:** वित्तपोषण संबंधी अंतराल को दूर करने के लिये, सरकार को **स्टार्टअप के लिये फंड ऑफ फंड्स (FFS)** जैसी पहलों का वस्तुतः करना चाहिये और **नजी नविशकों के साथ सह-नविश मॉडल** पेश करना चाहिये।
  - इक्विटी फंड जुटाने में चुनौतियों का सामना करने वाले स्टार्टअप को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिये **SIDBI** के तहत एक समर्पित उद्यम ऋण नधि स्थापित की जा सकती है।
  - अद्यतन कानूनी कार्यवाही के माध्यम से क्राउडफंडिंग प्लेटफॉर्म जैसे वैकल्पिक वित्तपोषण तरीकों को बढ़ावा देने से भी छोटे नविशकों को आकर्षित किया जा सकता है।
  - स्टार्टअप के लिये क्रेडिट गारंटी योजना (CGSS)** जैसी क्रेडिट गारंटी योजनाओं को मजबूत करने से स्टार्टअप को संपार्श्विक-मुक्त ऋण प्राप्त करने में मदद मिलेगी।
- महिला उद्यमिता को बढ़ावा देना:** अनुकूलित वित्तीय प्रोत्साहन और मार्गदर्शन कार्यक्रम अधिक महिलाओं को स्टार्टअप इकोसिस्टम में प्रवेश करने के लिये सशक्त बनाया जा सकता है।
  - NITI आयोग के तहत **महिला उद्यमिता मंच (WEP)** के दायरे का वस्तुतः करके इसमें **क्षेत्र-वशिष्ट प्रशिक्षण और बाजार संपर्क** को शामिल करने से समावेशिता को बढ़ावा मिल सकता है।
  - स्टार्टअप इंडिया के तहत **महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप** के लिये समर्पित फंड शुरू करने से **वित्तपोषण में लैंगिक पूर्वाग्रहों को दूर किया जा सकता है।**
  - ओडिशा में **महिला शक्ति** जैसी राज्य स्तरीय पहलों में महिला उद्यमियों के लिये समर्थन को एकीकृत करने से क्षेत्रीय पहुँच सुनिश्चित होगी।
- उद्योग-अकादमिक सहयोग को बढ़ाना:** स्टार्टअप और शैक्षणिक संस्थानों के बीच मजबूत संबंध स्थापित करने से अनुसंधान-संचालित उद्यमिता को बढ़ावा मिल सकता है।
  - नवाचारों के विकास और उपयोग के लिये राष्ट्रीय पहल (NIDHI)** जैसी पहलों का वस्तुतः करके विश्वविद्यालयों और अनुसंधान एवं विकास केंद्रों में इनक्यूबेशन कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जा सकता है।
  - IIT, IIM और अन्य प्रमुख संस्थानों** को उद्योग-केंद्रित नवाचार प्रयोगशालाएँ स्थापित करने के लिये प्रोत्साहित करने से शैक्षणिक अनुसंधान एवं बाजार की मांग के बीच के अंतर को समाप्त किया जा सकता है।
  - अटल इनोवेशन मिशन (AIM)** जैसी सरकारी योजनाओं के साथ शैक्षणिक जगत को जोड़ने से ज्ञान आधारित स्टार्टअप को और भी बढ़ावा मिल सकता है।
- टयिर-2 और टयिर-3 शहरों में स्टार्टअप को बढ़ावा देना:** स्टार्टअप इकोसिस्टम को विकेंद्रीकृत करने के लिये, सरकार को छोटे शहरों में डिजिटल और भौतिक बुनियादी अवसंरचना के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये।
  - डिजिटल इंडिया पहल** जैसे कार्यक्रमों का वस्तुतः करके और **भारतनेट** के माध्यम से हाई-स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने से ग्रामीण क्षेत्रों में स्टार्टअप को सशक्त बनाया जा सकेगा।
  - स्थानीय उद्योगों के साथ साझेदारी में विशेष मार्गदर्शन कार्यक्रम और कार्यशालाएँ इन क्षेत्रों की उद्यमशीलता क्षमता का लाभ उठा

सकती हैं।

- **बाज़ार अभिगम और स्केलेबिलिटी को सुवर्धन बनाना:** स्टार्टअप को घरेलू और वैश्विक बाज़ारों तक पहुँच प्रदान करना उनकी स्केलेबिलिटी के लिये आवश्यक है।
  - **ONDC (डिजिटल कॉमर्स के लिये ओपन नेटवर्क)** जैसे प्लेटफॉर्मों को सुदृढ़ करने से छोटे स्टार्टअप को व्यापक आपूर्ति शृंखलाओं और ई-कॉमर्स नेटवर्क में एकीकृत किया जा सकता है।
  - **चैपियन सेवा क्षेत्र योजना (CSSS)** के तहत स्टार्टअप एक्सपोर्ट हब स्थापित करने से स्टार्टअप को अंतरराष्ट्रीय बाज़ारों में प्रवेश करने में मदद मिल सकती है।
  - सरकारी खरीद नीतियों में स्टार्टअप के लिये एक नशिचित प्रतशित अनुबंधों को अनिवार्य किया जाना चाहिये, जैसा **कसिरकारी ई-मार्केटप्लेस (GEM)** पोर्टल के माध्यम से किया गया है।
- **कौशल और प्रतभिा वकिस में सुधर:** स्टार्टअप को AI, ब्लॉकचेन और IoT जैसी उभरती हुई तकनीकों में कुशल कार्यबल की आवश्यकता होती है। कौशल भारत मशिन के तहत कार्यक्रमों, जैसे कि **प्रधानमंत्री कौशल वकिस योजना (PMKVY 4.0)** में स्टार्टअप की मांगों के लिये वशष रूप से डिज़ाइन किये गए मॉड्यूल शामिल होने चाहिये।
  - स्टार्टअप के साथ इंटरनशपि और अप्रेंटिसशिपि की पेशकश करने के लिये नज्ी क्षेत्र के सहयोग को प्रोत्साहति करने से कौशल को उद्योग की ज़रूरतों के साथ संरेखति कयिा जा सकता है।
  - **स्टार्टअप इंडिया लर्निग प्रोग्राम** जैसे प्लेटफॉर्मों के साथ साझेदारी में समरपति **"स्टार्टअप स्कलिगि सेंटर"** स्थापति करने से उद्यमयिों की नेकस्ट जनरेशन तैयार हो सकती है।
- **धरणीय और हरति स्टार्टअप को प्रोत्साहन:** हरति उद्यमतिा को बढ़ावा देने से नवाचार को प्रोत्साहन के साथ-साथ जलवायु लक्ष्यों को भी प्रापुत कयिा जा सकता है।
  - **राष्ट्रीय हरति हाइड्रोजन मशिन** और **हाइबरडि और इलेक्ट्रिक वाहनों का तीवर अंगीकरण एवं वनिरिमाण (FAME)** के तहत स्वच्छ ऊर्जा स्टार्टअप के लिये सबसडिी और प्रोत्साहन का वसितार करके इनके अंगीकरण को गति मिल सकती है।
  - **मेक इन इंडिया 2.0** के तहत समरपति हरति स्टार्टअप ज़ोन नवीकरणीय ऊर्जा, अपशषि्ट प्रबंधन और धरणीय कृषि पर ध्यान केंद्रति करने वाली कंपनयिों के लिये इनक्यूबेशन सहायता प्रदान कर सकते हैं।
- **साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता कार्यदाँचे का नरिमाण:** फनिटेक, हेल्थ-टेक और एडटेक में संवेदनशील उपयोगकर्त्ता डेटा से नपिटने वाले स्टार्टअप को दृढ़ साइबर सुरक्षा कार्यदाँचे की आवश्यकता है।
  - **डिजिटल वयकृतिगत डेटा संरक्षण अधनियम, 2023** के तहत सखत मानकों को लागू करने से स्टार्टअप को प्रतषिठा एवं वत्तितीय संबंधी जोखमिों से बचाया जा सकता है।
  - **भारत साइबर अपराध समनवय केंद्र (I4C)** के माध्यम से सबसडिी वाले साइबर सुरक्षा साधन और प्रशक्षिण कार्यक्रम प्रदान करने से छोटे स्टार्टअप के लिये सुरक्षा मज़बूत हो सकती है।
  - **साइबर खतरों पर जज़ान साझा करने के लिये सरकार समरथति प्लेटफॉर्म** अतरिकित सहायता प्रदान कर सकते हैं।
- **वैश्विक प्रतसिपरदधातमकता और नवाचार को बढ़ावा देना:** वैश्विक प्रतसिपरदधातमकता को बढ़ावा देने के लिये, स्टार्टअप को अग्रणी प्रौद्योगिकियिों के अंगीकरण के लिये प्रोत्साहति कयिा जाना चाहिये।
  - **इंडियाAI मशिन** जैसे कार्यक्रमों को गति देने से AI, क्वांटम कंप्यूटिगि और ब्लॉकचेन जैसे क्षेत्रों में अधिक स्टार्टअप काम कर सकेंगे।
  - **भारत-इज़रायल औद्योगिक अनुसंधान एवं वकिस तथा प्रौद्योगिकि नवाचार नधि(I4F)** जैसी योजनाओं के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय सहयोग को समरथन देकर भारतीय स्टार्टअप को वैश्विक मूल्य शृंखलाओं में एकीकृत कयिा जा सकता है।
  - **स्टार्टअप इंडिया** के तहत सीमा पार स्टार्टअप शखिर सम्मेलनों और वनियमि कार्यक्रमों को बढ़ावा देने से भारतीय स्टार्टअप को वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं से सीखने में मदद मिलेगी।
- **एग्रीटेक स्टार्टअप के लिये समरथन का वसितार:** भारत की कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था को देखते हुए, एग्रीटेक स्टार्टअप परशुद्ध कृषि और आपूर्ति शृंखला डिजिटलीकरण जैसे नवाचारों के माध्यम से कृषि पद्धतयिों में क्रांतिकारी परविरतन ला सकते हैं।
  - **कृषि अवसंरचना कोष (AIF)** के अंतर्गत कार्यक्रमों का वसितार करने से कृषि प्रौद्योगिकि नवाचारों के लिये कम लागत पर वत्तिपोषण उपलब्ध हो सकता है।
  - **PM-KUSUM** जैसी पहलों को सौर ऊर्जा चालति सचिाई समाधान पर काम करने वाले स्टार्टअप के साथ एकीकृत कयिा जा सकता है।
    - राज्य स्तरीय कार्यक्रम, जैसे कि **महाराष्ट्र की एग्रीटेक नीति**, क्षेत्र-वशिषि्ट एग्रीटेक नवाचारों को बढ़ावा देने के लिये मॉडल के रूप में काम कर सकते हैं।
- **मेंटरशिपि और इकोसिस्टम नेटवर्कगि को सुदृढ़ करना:** वत्तिपोषण, संचालन और स्केलिंगि चुनौतयिों के माध्यम से स्टार्टअप को मार्गदर्शन देने में मेंटरशिपि महत्त्वपूर्ण भूमिका नभिाती है।
  - **स्टार्टअप इंडिया हब** जैसे कार्यक्रमों के तहत मेंटरशिपि नेटवर्क का वसितार करने से स्टार्टअप को उद्योग वशिषज्जों एवं नवशिकों तक अभिगम प्रदान कयिा जा सकता है।
  - क्षेत्रीय स्टार्टअप शखिर सम्मेलन आयोजति करने के लिये **NASSCOM** जैसे उद्योग संघों के साथ साझेदारी करने से नेटवर्कगि के अवसर उत्पन्न हो सकते हैं।

## नशिर्कष:

यद्यपि भारत की स्टार्टअप इंडिया पहल ने एक समृद्ध स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रोत्साहन के साथ नवाचार और रोज़गार सृजन को वशिषकर फनिटेक और हेल्थटेक जैसे क्षेत्रों में वैश्विक अग्रणयिों के रूप में स्थान दलिया है। फरि भी स्टार्टअप इकोसिस्टम की प्रगति बनाए रखने के लिये, वनियामक बाधाओं, फंडगि की कमी जैसी चुनौतयिों का समाधान और उद्योग-अकादमिक सहयोग को बढ़ाना आवश्यक है। इन क्षेत्रों को सुदृढ़ करने से स्टार्टअप की संवहनीयता सुनशिचिति होगी, समावेशी वकिस में योगदान मिलेगा और प्रमुख सतत् वकिस लक्ष्यों (SDG) जैसे कि **उत्कृष्ट शर्म (SDG 8)** और **उद्योग नवाचार (SDG 9)** को समरथन प्रापुत होगा, जसिसे दीर्घकालिक आर्थिक प्रगति को बढ़ावा मिलेगा।

